संख्या-118/2023/782/001-23-9-2023/01डीडी/2021

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 07 मई, 2023

विषय -वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग के 09 चालू कार्य पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 09 कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार रू0 4,67,07,000/- (रूपये चार करोड़ सड़सठ लाख सात हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम	मुख्य अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/मूल लागत/ प्राविधिक स्वीकृत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3895/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt-26-04-2023	प्रयागराज	कोडापुर दुल्मापुर(पटेल एवं पासी बस्ती) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023-दिनांक-23-02-2023	55.87	2.12	9.83	43.92	35.14
2	3895/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt-26-04-2023	प्रयागराज	सराय कुतुबुदीन उर्फ जोगिया का शेखपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023-दिनांक-23-02-2023	55.20	2.10	9.70	43.40	34.72
3	3895/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt-26-04-2023	प्रयागराज	कुतुबपुर (कन्हैया का पुरवा) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023-दिनांक-23-02-2023	97.55	3.71	12.01	81.83	65.46
4	3895/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt-26-04-2023	प्रयागराज	अगरापट्टी सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023-दिनांक-23-02-2023	97.01	3.69	12.54	80.78	64.62
5	3895/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt-26-04-2023	प्रयागराज	हेमापुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023-दिनांक-23-02-2023	84.43	3.21	14.71	66.51	53.21
6	3895/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt-26-04-2023	प्रयागराज	शाहपुर से शावडीह सम्पर्क मार्ग।	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023-दिनांक-23-02-2023	96.02	3.65	9.73	82.64	66.11
7	3895/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt-26-04-2023	प्रयागराज	रसूलपुर(रसूलपुर देह माफी) सम्पर्क मार्ग।	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023-दिनांक-23-02-2023	63.90	2.43	12.47	49.00	39.20
8	3895/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt-	प्रयागराज	सौराहा चैरसिया बस्ती	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-	68.59	2.61	12.00	53.98	43.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम	मुख्य अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/मूल लागत/ प्राविधिक स्वीकृत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26-04-2023		सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	002-7-2023-दिनांक-23-02-2023					
9	3895/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt-26-04-2023	प्रयागराज	फूलपुर मुबारकपुर बहरिया मार्ग से लिलहट मुस्लिम बस्ती, मौर्या बस्ती सम्पर्क मार्ग।	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023-दिनांक-23-02-2023	95.08	3.61	9.68	81.79	65.43
				योग					467.07

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहित प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,67,07,000 (रुपये चार करोड़ सड़सठ लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043379600 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथमप्रयागराज। उ0प्र0 (निर्माण)
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियंता(मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।